न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 41/2017

बउनवान

पानाचन्द उम्र 60 वर्ष पुत्र हरिकिशन मीणा निवासी झारखण्ड तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री नन्द किशोर गुर्जर अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 29.1.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 237/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 17.4.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम डडवाडा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2071 मे खसरा नम्बर 460 की रकबा 1.30 हेक्टयर भूमि पर फसल लहसन/सरसो/मक्का की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 650/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 25.7.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया। जिसे प्रकरण संख्या 12/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया गया आदेश दिनांक 25.7.2017 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिल खारजा है। उक्त आराजी अपीलांट के पिता एवं दादाजी के खाते दर्ज थी। जो सीलिंग मे अधिगृहित होकर, वर्तमान मे सिवायचक दर्ज है। प्रकरण मे दौराने बहस अपीलांट के अभिभाषक द्वारा रूलिंग आर.आर.डी. 1994 पेज संख्या 501 Doonger Singh V. Stste of Raj प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक तरफा निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे बेदखलीनामा नही है। उक्त

विवादित आराजी की पैमाईश रिपोर्ट भी नही है। अपीलांट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.5.2017 को पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 22.5.2017 को आवेदन पेश कर दिनांक 25.5.2017 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमण किया है। जो वर्तमान मे सिवायचक दर्ज है, ओर जो रूलिंग अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत की गई है, वह इस प्रकरण मे चस्पा नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया ओर तामील करवाई गयी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2071 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू मे अनुपस्थित रहा है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 237/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 17.4.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां